

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

Endt. No. B/411
III-10-40/78 -VIII

Jabalpur, dated 19.01.2021

The copy of Rajpatra dated 08.01.2021 containing Notification issued u/s 12(1) of Civil Court Act, 1958, is forwarded to :-

1. The Principal Secretary, Law & Legislative Affairs Department, Bhopal for information.
2. The District and Sessions Judge **Guna**,
3. The District and Sessions Judge **Satna**,
4. District Judge, (Inspection), High Court Premises Jabalpur, JE-1, Judges Enclave, Resident Area, Indore, /28-B Race Course, Near Mela Ground Gwalior,
5. The Principal Registrar/OSD, Bench at Indore/Gwalior High Court of M.P., Jabalpur,
6. Registrar (J-I)/ (J-II)/ (D.E.)/ (W&I)/ (A)/ (I&L)/ (Examination and Labour Judiciary)/ IT/ Registrar & Secretary, M.P. Legal Services Authority, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur,
7. P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur for placing the matter before His Lordships,
8. P.S. to Hon'ble Shri Justice
9. P.S. to Registrar General/Principal Registrar(Judl.)/Principal Registrar (Vigilance),/Principal Registrar (Examination & ILR) High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
- 10.P.A. to Director/Additional Director JOTRI, High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
- 11.Joint Registrar Confidential, Administrative Officer Checker/ Criminal Checker/ Work Section/ Budget/ D.E. High Court of Madhya Pradesh Jabalpur,
- 12.Computer Operator, Confidential Section, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur,
- 13.Server Room (Computer) for making available in the official website of the High Court under the hyperlink circular/orders etc. in compliance of the orders of Registrar General dated 01.03.2018 & endt No. Reg(IT)/SA/2018/368 dated 01.03.2018.


(R.P.S. CHUNDAWAT)
REGISTRAR (D.E.)

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 जनवरी 2021—पौष 18, शक 1942

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर, 2020

2 श्रीमती भारती जाटव ओगरे उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
(2012), महाप्रबंधक, खनिज साधन विभाग,
मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग
कॉर्पोरेशन, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 24 दिसम्बर, 2020

क्र. ई-1-337-2020 5 एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

क्र. ई-1-355-2020-5-एक.—श्री शशि भूषण सिंह, भाप्रसे (2009) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग पदस्थ किया जाता है.

तालिका

स.क्र.	अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री तरुण भटनागर (2012), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना.	अपर आयुक्त (राजस्व), रीवा संभाग, रीवा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव.

क्र. सी-3423-तीन-10-40-78-(भाग-आठ).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक-सी-4666-तीन-10-40-78-सात, दिनांक 18 नवम्बर 2016 जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 16 दिसम्बर 2016 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है. उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 37 सिविल जिला सतना तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनु क्र.	सिविल जिले का नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
37	सतना	सतना	12*	सतना	7	सतना	9
		मैहर	4	मैहर	2	मैहर	2
		नागौद	4	नागौद	2	नागौद	2
		अमरपाटन	2	अमरपाटन	1	अमरपाटन	2
		रामपुर बघेलान	1			रामपुर बघेलान	2
						उचेहरा	2
						चित्रकूट	1

No. C-3423-III-10-40-78-VIII.—In the Notification of the High Court of Madhya Pradesh no. C/4666/III-10-40-78-VII, dated 18th November, 2016, issued in exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (No. 19 of 1958), which was published in the "Madhya Pradesh Gazette" dated 16th December, 2016 following amendment is made. In the said notification, in the table, for the Serial number 37 Civil District Satna the following entries are substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges (Class-I)		Court of Civil Judges (Class-II)	
		Place	Number of Courts	Place	Number of Courts	Place	Number of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
37	Satna	Satna	12*	Satna	7	Satna	9
		Maihar	4	Maihar	2	Maihar	2
		Nagod	4	Nagod	2	Nagod	2
		Amarpatan	2	Amarpatan	1	Amarpatan	2
		Rampur	1			Rampur	2
		Baghelan				Baghelan	
						Uchehara	2
						Chitrakoot	1

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
बी. पी. शर्मा, रजिस्ट्रार (डी. ई.).

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-5808-दो-2-14-2014.—श्री अमर नाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को दिनांक 4 से 8 जनवरी 2021 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अमर नाथ, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमर नाथ उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, ओ.एस.डी.

जबलपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2020

क्र. सी-3426-तीन-10-40-78-(भाग-आठ).—मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस संबंध में पूर्व में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक-सी-4666-तीन-10-40-78-सात, दिनांक 18 नवम्बर, 2016 जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है। उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 18 सिविल जिला गुना तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

अनु. क्र.	सिविल जिले का नाम	अपर जिला न्यायाधीश के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश प्रथम वर्ग के न्यायालय		सिविल न्यायाधीश द्वितीय वर्ग के न्यायालय	
		स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या	स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18	गुना	गुना	6*	गुना	5	गुना	5
		चाचोड़ा	1	चाचोड़ा	1	चाचोड़ा	2
		राघोगढ़	1	राघोगढ़	2	राघोगढ़	2
				आरोन	1	आरोन	1
						कुंभराज	1

No. C-3426-III-10-40-78-VIII.—In the Notification of the High Court of Madhya Pradesh no. C/4666/III-10-40-78-VII, dated 18th November, 2016, issued in exercise of the powers conferred by sub-Section 1 of Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (No. 19 of 1958), which was published in the "Madhya Pradesh Gazette" dated 16th December, 2016 following amendments is made. In the said notification, in the table, for the Serial number 18 Civil District Guna the following entries are substituted, namely:—

TABLE

S. No.	Name of Civil District	Court of Additional District Judges		Court of Civil Judges (Class-I)		Court of Civil Judges (Class-II)	
		Place	Number of Courts	Place	Number of Courts	Place	Number of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18	Guna	Guna	6*	Guna	5	Guna	5
		Chachoda	1	Chachoda	1	Chachoda	2
		Raghogarh	1	Raghogarh	2	Raghogarh	2
				Aron	1	Aron	1
						Kumbhraj	1